नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur City - 16 Jul 2025 - 16nya6
epaper.navabharat.news

भारत माता स्कूल ने नियमों को दरकिनार कर रिश्वतखोर महिला लिपिक को किया बहाल

डीईओ से बहाल करने नहीं ली अनुमति, प्रबंधन के निर्णय के खिलाफ जेडी से की गई लिखित शिकायत

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

भारत माता स्कूल की महिला लिपिक ने 6 कर्मचारियों से नियमित कराने के लिए 15 लाख रूपए की रिश्वत ली थी। इसके बाद भी कर्मचारी नियमित नहीं हुए। उक्त मामले में उसके खिलाफ थाने में एफआईआर कराया गया है। जेडी, डीईओ के आदेश पर लिपिक को निलंबित किया गया था। निलंबन के छह माह में स्कूल प्रबंधन ने रिश्वतखोर महिला लिपिक को नियमों को दरकिनार कर फिर से बहाल कर पदभार ग्रहण करा लिया। इसकी अनुमति डीईओ से भी नहीं ली गई।

स्थानीय शासकीय अनुदान प्राप्त भारत माता हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत लिपिक ग्लोरिया खलखो सहायक ग्रेड-२ के पद पर कार्यरत है। लिपिक द्वारा अनुदान खंड में सहायक शिक्षक और भव्य के पद पर नियुक्ति कराने के लिये संस्था में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों से लभभाग 15 लाख रुपए लिया गया। उसके खिलाफ कर्मचारियों ने तारबाहर थाने में 3 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराया है। मामले में थाने से 26 अक्टूबर 2024 को सत्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। मामले की शिकायत ठगी के शिकार लिपिकों ने संयुक्त संचालक, शिक्षा से की थी। उन्होंने दो प्राचार्यो की समिति का गठन कर जांच क आदेश दिया था। उक्त समिति द्वारा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जेडी ने लिपिक के खिलाफ मिले पर्याप्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश डीईओ को दिया था। उक्त आदेश के बाद 9 जनवरी को डीईओ के आदेश पर भारत माता स्कूल प्रबंधन द्वारा लिपिक को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद

न्यायालय में मामला लंबित तब भी कराया ज्वाइन

भारत माता हिंदी माध्यम स्कूल की रिश्वतखोर लिपिक ग्लोरिया खलखो का मामला न्यायालय में लंबित है। उसके खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। इसके बाद भी उसको नियमों को दरकिनार कर बहाल कर ज्वाइन करा दिया गया है। जबकि शासन के 16 जून 2009 के आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय के अंतरिम आदेश तक संबंधित कर्मचारी निलंबित रहेगा। उक्त आदेश का भी भारत माता स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं माना जा रहा है।

बहाल करना गलत, होगी जांच

रिश्वत लेने के मामले में निलंबित भारत माता स्कूल के लिपिक को फिर से बहाल करने की जानकारी नहीं है। ऐसा करना गलत है। उक्त मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराई जाएगी। इसके बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आरपी आदित्य, संयुक्त संचालक, शिक्षा।

भारत माता स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना डीईओ से अनुमोदन लिए 7 जुलाई को दोषी सहायक ग्रेड दो ग्लोरिया खलखो को अवैधानिक रूप से पुनः बहाल किए बिना पदभार ग्रहण करा लिया गया है। जो नियमों के खिलाफ है।